

CALL FOR DEPUTATIONS APC & ABRC IN SSA

The SSA requires lecturers on deputation for the post of APCs and ABRCs.

1. The qualifications for the posts are as follows:

- (i) APC: Minimum 10 years as lecturer and 55% marks each in 12th, Graduation and Post-graduation should also have B.Ed in the subject he/she is teaching.
- (ii) ABRC: Minimum 10 years as lecturer and 50% marks each in 12th, graduation and post-graduation should also have B.Ed in the subject he/she is teaching / M.Phil/ UGC Net.

Preference will be given to those having knowledge of computer (Basics/ MS Word/ Excel/ PowerPoint)

Interested lecturers working in Govt. Schools may apply through email in prescribed format (*enclosed herewith*) at ssahry.deputations@gmail.com

2. Number of Post are

- (i) APC: 29
- (ii) ABRC: 499

3. Selection procedure:

- (i) Written test – a general ability test shall be administered including an essay on current topics. Minimum cutoff marks shall be 60%.
- (ii) This shall be followed by an interview by SPD SSA, DSE, DEE, Addl. Directors and other subject experts

4. Last date for application is 7th October 2011.

[\(Click here to see job profile of APC/ ABRC\)](#)

सहायक खंड संसाधन समन्वयक (ए.बी.आर.सीज की भूमिका एवं दायित्व)

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर खंड संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है ताकि स्कूलों तथा उसमें कार्यरत अध्यापकों को आवश्यकतानुसार शैक्षिक मार्गदर्शन दिया जा सके । प्रत्येक खंड संसाधन केन्द्र पर गतिविधियों के संचालन के लिए सहायक खंड संसाधन समन्वयक नियुक्त किए गए हैं ।

प्रत्येक सहायक खंड संसाधन समन्वयक को पांच से दस गांव में स्थित स्कूलों के समूह का दायित्व दिया गया है और इस समूह में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए सहायक खंड संसाधन समन्वयक जिम्मेवार है ।

सहायक खंड संसाधन समन्वयक के दायित्व

1. **शैक्षिक पर्यवेक्षण** – सहायक खंड संसाधन समन्वयक मास में कम से कम एक बार अपने समूह के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्कूल का शैक्षिक पर्यवेक्षण करेगा और कक्षा शिक्षण को देखेगा और आवश्यकतानुसार अध्यापक को अपेक्षित मार्गदर्शन देगा । मार्गदर्शन देते समय इस बात को ध्यान में रखेगा कि स्कूल की क्या विशेष परिस्थितियां हैं और उन्हें इस प्रकार से अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है । सहायक खंड संसाधन समन्वयक स्वयं को शिक्षक का साथी समझ कर मित्रवत व्यवहार करे । विद्यालय पर्यवेक्षण के समय उसका नजरिया शिक्षक की जांच करने का न होकर सहयोगात्क हो ।

कक्षा शिक्षण की रिपोर्ट एन.सी.ई.आर.टी द्वारा बनाये गये प्रफोर्मा पर तैयार कर खंड संसाधन समन्वयक को प्रेषित करेगा ।

पर्यवेक्षण के दौरान निम्न बिंदु अवश्य देखें जाएं :-

- अध्यापकों की उपस्थिति एवं समय नियमितता
- बच्चों की उपस्थिति
- बच्चों का उपलब्धि स्तर

- अध्यापकों की कार्यकुशलता
- स्कूल की कोई विशेष आवश्यकता
- समस्या प्रधान बच्चे (problem children)
- विशेष उपलब्धि वाले बच्चे (extra ordinary children)

2. मास्टर ट्रेनर के रूप में – सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित कर जा रही अध्यापकों की सेवाकालीन ट्रेनिंग में वह मास्टर ट्रेनर के रूप में अपना दायित्व निभाएगा ।

स्कूल स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विस्तारित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अपने स्तर पर करेगा और उसके लिए जरूरत के मुताबिक संदर्भ व्यक्तियों की व्यवस्था भी करेगा ।

3. ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक में भाग लेना – प्रत्येक मास आयोजित होने वाली ग्राम शिक्षा समिति की कुछ बैठकों में वह भाग लेगा और इन बैठकों में संबधित गांव के नामांकन एवं बच्चों के ठहराव पर विस्तारित चर्चा करवा कर ग्रामीण समुदाय को प्रेरित करेगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूलों में आएँ और कोई बच्चा स्कूलों से बाहर न रहे ।

4. ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण – इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सहायक खंड संसाधन समन्वयक द्वारा किया जाना है और इसमें भी मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान देंगे ।

5. ग्रांट्स के वितरण एवं उपयोग की मॉनीटरिंग – शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान वह स्कूल को मिलने वाली मरम्मत एवं रख रखाव ग्रांट, स्कूल ग्रांट तथा अध्यापक ग्रांट के वितरण तथा उपयोग की प्रगति को भी देखेगा कि ग्रांट्स ठीक प्रकार से उपयोग में लाई जा रही हैं ।

6. निर्माण कार्य की मॉनीटरिंग – शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति पर भी स्कूल के मुखिया से चर्चा करेगा और उनमें आ रही समस्याओं के समाधान के लिए बी.आर.सी से विस्तार में बात करेगा ।

7. ए.आई.ई केन्द्रों तथा बचपनशाला का निरीक्षण – स्कूलों के शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान उस गांव में चल रहे ए.आई.ई केन्द्रों तथा बचपनशाला का निरीक्षण भी सहायक खंड संसाधन समन्वयक द्वारा किया जाना है और निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के दिन ही भेजी जानी है ।

8. नामांकन अभियान चलाना – यह सुनिश्चित करने लिए कि 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चे स्कूलों में आए । सहायक खंड संसाधन समन्वयक अपने समूह के सभी गांव में नामांकन अभियान चलाकर अभिभावकों को प्रेरित करेगा ।

शत प्रतिशत नामांकन, बालिका शिक्षा एवं उपलब्धि हेतु वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग सुनिश्चित करना ।

नामांकन अभियान के साथ साथ हाउस टू हाउस सर्वे के आंकड़ों को अपडेट कर ग्राम नामांकन रजिस्टर (Village Education Register) को भी अपडेट करेगा ।

9. प्रोत्साहनों की मॉनीटरिंग – शैक्षिक पर्यवेक्षण के दौरान वह बच्चों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे कि मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, साईकलों, वर्दियों व मध्यान भोजन के उचित वितरण का भी पर्यवेक्षण करेगा ।

10. शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करवाना— कलस्टर स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करवाकर अध्यापकों से शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करवाएगा ।

11. आंकड़ों का संकलन— डाईस तथा अन्य शैक्षिक आंकड़ों के संकलन का उत्तरदायित्व भी सहायक खंड संसाधन समन्वयक का है ।


12. योजना बनाने में सहयोग देना – वार्षिक योजना बनाने हेतु सहायक खंड अपने समूह के गांव की योजनाएं बनाएगा ।

13. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबन्धी –

- डाईट द्वारा निर्मित शैक्षिक सामग्री को संकुल केन्द्र एवं विद्यालयों तक पहुंचाने एवं इनका कक्षाओं में उपयोग कराने में सहायता करना ।

- विद्यालय एवं संकुल संसाधन केन्द्र की शैक्षिक आवश्यकताओं, प्रशिक्षण का फीडबैक एवं समस्याओं के प्रति डाईट को अवगत कराना ।
 - क्षेत्र के प्रतिभावान शिक्षकों की जानकारी डाईट को देना ।
 - अपने क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विशिष्टताओं की जानकारी डाईट को देना ।
 - डाईटस के सहयोग से अध्यापकों को क्रियात्मक शोध के लिए प्रेरित करना ।
14. नवाचारों को प्रोत्साहन – शिक्षकों द्वारा किए गए नवाचारों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जाए और उनके द्वारा अपनी समझ बढ़ाई जाए एवं दूसरों को भी उनसे अवगत कराया जाए ।
15. अन्य क्रियाकलाप
- समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित करना ।
 - क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजार, मेलों, प्रदर्शनियों में शिक्षा के स्टाल लगाकर ऑडियो/विडियो कैसेट का प्रसारण एवं प्रदर्शन करना ।
 - अंतर कक्षीय/अंतर विद्यालयी प्रतियोगितायें आयोजित करना ।
16. सप्ताह में किए गए कार्य की रिपोर्ट निर्धारित प्रफोर्मा पर खंड संसाधन समन्वयक (BRCCs) को भेजें !

भारत सरकार के अनुसार सहायक खंड संसाधन समन्वयक स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी है।



Phone : 0172-2708532
Fax : 0172-2721319

HARYANA PRATHMIK SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)

Ref. No : 1-21/Ptg/SSA-20575 to 20595

Dated : 24.01.2011

To

All the DPCs,
In the Haryana State

Phone : 0172-2708532
Fax : 0172-2721319

Subject: Roles of Assistant Project Coordinator (APCs)

Kindly refer to the subject cited above.

The APCs are the key to implement the programme. Hence I have been directed to forward the Roles of Assistant Project Coordinator (APCs) in the district. The APCs will be responsible to perform their roles as per areas specified as under.

Sr. No.	Designation	Work Allocation	
1.	APC-I	SSA	RMSA
		Planning	Planning
		DISE	SEMIS
		Joint review Mission/ Evaluation by ministry or any other external agencies	Evaluation by ministry or any other external agencies
		Research, Action research, Impact study	Research, Action research, Impact study
		Up-gradation of schools	Up-gradation of schools
		Projection/assessment for civil works in coordination with Junior Engineer/SDE	Projection/assessment for civil works in coordination with Junior Engineer/SDE
		Salary of Teachers/Additional teachers/headmasters	Salary of Teachers/Additional teachers/library-cum-information assistant
		Grants Distribution and utilization	Grants Distribution and utilization
2.	APC-II	Teacher Training	Teacher Training
		Quality monitoring tools and its analysis	Quality monitoring tools and its analysis
		Free text distribution	
		Coordination/organization of teleconferencing as per schedule DEP/IGNOU	Coordination/organization of teleconferencing as per schedule DEP/IGNOU

E-mail : hpsppchd@yahoo.co.in
S.C.O. 170-171-172, Sector- 17C, Chandigarh

		Implementation of Learning Enhancement Programme	Enhancement of maths education and science
3.	APC-III	Continuous comprehensive evaluation	Continuous comprehensive evaluation
		Girls Education, KGBV, NPEGEL, SC Children, Minority Children, ECCE	Girls Education, KGBV, SC Children, Minority Children, Guidance & Counseling
			Creative & performing art
			Work Education
		Teaching Learning Equipment Grant	Teaching Learning Equipment Grant
4.	ACP-IV	Out of school Children	Out of school Children education
		Household survey	Household survey
		ERC, CRC	BEO
		Liaison with DIET's	Liaison with DIET's
		Computer Aided learning programme	Convergence with ICT programme
		Inclusive Education	
		Community Mobilization, Media Mobilization,	Community Mobilization, Media Mobilization,
		Training of VECs/SMCs	Training of SMCs

1. The APC shall draw a Plan of Action for each of the component/work assignment as per the chart in the first month of the academic year.
2. The APC shall conduct all the activities pertains to their work assignment
3. The APC shall ensure to submit the Monthly Progress and Quarterly Progress of their respective work assignment/component to the DPC, ADC and DLEC.
4. The APC shall prepare their Annual Work Plan for their own work assignment/component on the basis of gaps emerged in schools after consolidating them in priorities from cluster to block and district level.
5. The APC shall ensure that no advances outstanding against them within the financial year. The amount sanctioned for the activity shall be utilized for the same purpose as mentioned in the sanction.
6. The APC shall not divert the funds from one component to another without approval of the competent authority.
7. The APC shall abide by the all norms of Sarva Shiksha Abhiyan and State Government to carry out the activities

✓



Phone : 0172-2708532
Fax : 0172-2721319

HARYANA PRATHMIK SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)

They will also abide by all the norms of SSA and RMSA. They will also follow the instructions issued by the HQ from time to time.

Phone : 0172-2708532
Fax : 0172-2721319
For State Project Director

Endst. No. - 204967020616

Date: 26/1/2019

A copy of the above is forwarded to the all the ADCs in the state for kind information and necessary action please.

will also follow the instructions
Consultant (M&P)
For State Project Director
Phone : 0172-2708532
Fax : 0172-2721319
For State Project Director